न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—62/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/62

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
अजीत पुत्र धूपाजी उम्र 40 वर्ष जाति रावल निवासी रामसीन तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर राजस्थान		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जसवन्तपुरा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल आर एक्ट अपील वनाराजगी निर्णय प्रकरण संख्या 47/2013 दिनांक 31.01.2013 जिला कलेक्टर जालोर

उपस्थिति :—
1. श्री नवीन दवे, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः— 26.12.2024

1. न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 47/2013 आदेश दिनांक 31.10.2013 बअनवान अजीत बनाम सरकार में पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौरान बहस अभिकथन किया कि सरहद मौजा रामसीन के हाल खसरा नंबर 841 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 823 रकबा 0.86 हैक्टर पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त है जो अपीलाण्ट की पीढीयो से पुरानी कब्जा काष्त की आराजी है। जिस पर अपीलाण्ट पीढीयो से निरन्तर रूप से आज दिन तक कब्जा काश्त कर रहा ह। मौके पर अपीलाण्ट की फसले खडी है। अगर उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया तो अपीलाण्ट को भारी नुकसानी उठानी पड़ेगी। रेस्पोडेण्ट्स तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान नही करके पटवारी हल्कार रामसीन की गलत रिपोर्ट पर अपीलाण्ट के पुराने पीढी दर पीढी कब्जा काश्त को दरकिनार करते हुए धारा 91 आर एल आर की कार्यवाही की है। जिसे अपास्त किया जाना न्याय संगत है। अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य, सबूत, जवाब व पैरवी इत्यादि करने का अवसर प्रदान नही किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है।

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

6. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने दौरान बहस अभिकथन किया कि अपीलाण्ट मजदूरी हेतु बाहर गांव गुजरात गया हुआ था इसलिए उसके गैर मौजूदगी में कागजी कार्यवाही करते हुए पटवारी हल्का रामसीन की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल खारीज योग्य होने से खारीज फरमाया जावे। उक्त प्रकरण को मयाद में शुमार फरमाया जाकर अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर पारित किया जाना न्याय संगत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जसवन्तपुरा के आदेश दिनांक 04.03.2013 व जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 31.10.2013 को अपास्त फरमाया जावे।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अपीलाण्ट की प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई थी। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 की अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुतकर्ता को जानकारी दिनांक 21.08.2013 को प्रतिलिपि मिलने पर होना बताई गई है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मियाद संबंधी बिन्दु पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की आदेशिका पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर होने से उन्हें निर्णय की जानकारी होने के बावजुद प्रथम अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नही की गई माना है। अपील प्रस्तुत करने में हुई इस देरी का कारण यह बताया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय की जानकारी उन्हें इसलिए नही हो सकी क्योकि उनके हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवाये गये थे। न्यायहित में यह आवश्यक है कि इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में भली भांति विचार करने उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना था। अतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप अपीलाण्ट को सुनना आवश्यक था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार नही सुना गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 47/2011 उनवान अजीत बनाम सरकार निर्णय दिनांक 31.10.2013 तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा के मुकदमा नंबर 43/2013 उनवान सरकार बनाम अजीत निर्णय दिनांक 04.03.2013 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस दिशानिर्देश के साथ तहसीलदार जसवंतपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य,सबूत प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

26.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)